संख्या- 62/3396/बयालिस-2014-02/एस0पी0/52/82

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2015**

विषय- तदर्थ प्रशिक्षको (अंशकालिक) का चयन एवं मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 933/अ0का0प्रशि0 मानदेय बढ़ो/2014-15, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3991/बयालिस-2011-02/एस0पी0/52/89, दिनांक 14 दिसम्बर, 2001, शासनादेश संख्या-861/बयालिस-2006-02/एस0पी0/52/89, दिनांक 24 फरवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या-1453/बयालिस-2011-02/एस0पी0/52/89, दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा अंशकालिक प्रशिक्षकों को दी जा रही मानदेय की दरों को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार मानदेय की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	प्रशिक्षकों का स्तर	मानदेय (रूपयों में)
01-	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एंव एन0आई0एस0 स्तर के प्रशिक्षक	30,000.00
02-	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	27,000.00
03-	राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	25,000.00
04-	एन0आई0एस0 प्रशिक्षक	25,000.00
05-	राज्य स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	20,000.00
06-	अन्र्तविश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	10,000.00

2- तदर्थ प्रशिक्षको (अंशकालिक) को दिये जाने वाले मानदेय की संशोधित दरें 01 अप्रैल, 2015 से लागू मानी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.12.2001 तथा शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2006 एवं 25 अगस्त, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जाये।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्रांक- ई-5-113/दस/2015, दिनांक 29 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या- 62/3396(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(3)- नियोजन अनुभाग- 4
(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(5)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in